

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1373 /

जबलपुर, दिनांक 24/2/2022

श्रीमती मंजूलता ठाकुर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38-ग संतान पालन अवकाश के अनुसार दिनांक 21.02.2022 से 26.03.2022 तक 34 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(प्रमोद कुमार अग्रवाल)  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक B/1374 /

जबलपुर, दिनांक 24/2/2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती मंजूलता ठाकुर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(मंसोज कुमार श्रीवास्तव)  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)

